

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(52)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक: 07 FEB 2022

--:आदेश:--

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(1)नविआ/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए उप नियम (II)(ए) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.02.2022 की अभिशंषानुसार निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत) को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल-14 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क्र.सं. | पदोन्नत राजसेवक का नाम | चयन वर्ष | रिक्ति दिनांक |
|---------|------------------------|----------|---------------|
| 1. | श्री जितेन्द्र नील | 2020-21 | 01.04.2020 |
| 2. | श्री तेजमल शर्मा | 2021-22 | 01.04.2021 |
| 3. | श्री अनिल कुमार वैष्णव | 2021-22 | 01.04.2021 |

उपरोक्त अभियन्ताओं की पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- सचिव/आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
- संबंधित अभियन्तागण को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
- निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय